

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक: 06(01) चिस्वा/2/2022/ई 01007

जयपुर, दिनांक:

--:आदेश:--

डॉ. शीलारानी जैन, प्रमुख विशेषज्ञ (रेडियोलोजी), राजकीय यज्ञनारायण चिकित्सालय, किशनगढ़, अजमेर को उनकी स्वयं की प्रार्थना पर राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 के नियम 50(1) के तहत दिनांक 01.11.2023 से एतद्द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकृत की जाती है।

डॉ. शीलारानी जैन, प्रमुख विशेषज्ञ (रेडियोलोजी), राजकीय यज्ञनारायण चिकित्सालय, किशनगढ़, अजमेर के विरुद्ध आज दिनांक तक:-

- 1-राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- 2-राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-19 के अधीन विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- 3-कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

आज्ञा से,

(निमिषा गुप्ता)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज. जयपुर।
2. प्रमुख मुख्य चिकित्सा अधिकारी, राजकीय सैटेलाइट चिकित्सालय, आदर्श नगर, अजमेर
3. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी राजकीय यज्ञनारायण चिकित्सालय, किशनगढ़, अजमेर।
4. डा0 शीला रानी जैन, जरिये निदेशक (जन.स्वा.)।
5. निजी/ रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

Signature valid

Digitally signed by Nimisha Gupta
Designation: Joint Secretary To
Government
Date: 2023.09.08 11:00:22 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4612726

